



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 04.09.2024

- महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की एक और कार्यवाही।
- थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध में वाँछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 252/2024 धारा 85/61(2)/115(2)/109/351(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात में वाँछित था अभियुक्त।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 26.08.2024 को थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 252/2024 धारा 85/61(2)/115(2)/109/351(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 02 नफर नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 04.09.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वाँछित 01 नफर अभियुक्त 1. रिकू उर्फ आलोक कुमार पुत्र श्री ओमकार सिंह यादव निवासी सैनिक नगर मण्डी समिति पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष को मय घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू के मण्डी समिति कस्बा पुखरायां से चौकी चकचालपुर को जाने वाली रोड पर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. रिकू उर्फ आलोक कुमार पुत्र श्री ओमकार सिंह यादव निवासी सैनिक नगर मण्डी समिति पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 252/2024 धारा 85/61(2)/115(2)/109/351(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू।

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 पवन कुमार शर्मा चौकी प्रभारी पुखरायाँ
2. कां0 856 बबलू सिंह
3. कां0 981 मो0 आसिम
4. का0 470 भीमसेन